23/5/18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध के.उ.अ.अवलोकन किया गया। पत्रावली गत 7-8 वर्षों से L.R की सूची पेश करने हेतु विपक्षी हीन है इससे प्रतीत होता है कि वादी वाद को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है अतः वाद वादी न्यायालय की अनुमति पर कोई रुचि नहीं लेता है वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर परिणाम दफ्तर हो। निर्णय पर अनुसार कार्यवाही सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
पीडवाना

Scanned by CamScanner